प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अठहत्तर'

[14/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 4003]

प्रति,
श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक
हबीबगंज संभाग भोपाल।

विषय :— मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा धोखाधडी करने बाबत् ।

महोदयजी,

हम प्रार्थीगण राजेश गोयल, आयु लगभग 46 वर्ष, एवं योगेश गोयल, आयु लगभग 42 वर्ष, पुत्रगण स्वर्गीय श्री ओ. पी. गोयल, निवासीगण—जी—11, शालीमार पार्क, कोलार रोड, भोपाल के होकर निम्नानुसार रिर्पोट करना चाहते है कि :—

1. यह कि प्रार्थीगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता प्लाट नं0 46, जो कि खसरा नं0 25/2, 25/3/1, 26/1 का अंश भाग है, जो कि ग्राम दामखेड़ा, मंदाकिनी को0 आपरेटिव सोसायटी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है । जिसका कुल क्षेत्रफल 2000.60 वर्गफिट है

2. यह कि उक्त प्लाट सर्वप्रथम मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री सतीश कुमार तिवारी आत्मज स्वर्गीय श्री आनन्द मूर्ति तिवारी, निवासी—47/9, साउथ टी0 टी0 नगर, भोपाल द्वारा श्री ओमप्रकाश पाराशर आत्मज श्री भगवती प्रसाद पाराशर, निवासी—फ्लेट नं0 20, गोयल इस्टेट, कोहेफिजा, भोपाल को पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2001 के माध्यम से विक्रय किया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में पुस्तक क्रमांक अ—1, ग्रन्थ क्रमांक 17457 के 05 पृष्ठ क्रमांक 79/83 पर क्रमांक 2675(ग) देकर दिनांक 18.10.2001 पर पंजीबद्व है एवं श्री ओमप्रकाश पाराशरजी से हम प्रार्थीगण द्वारा पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2014 के माध्यम से क्रय किया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में पुस्तक क्रमांक अ—1, ग्रन्थ क्रमांक 349 के 08 पृष्ठ क्रमांक 07/14 पर क्रमांक 5918(3) देकर दिनांक 15.01.2014 पर पंजीबद्व है एवं आवेदक द्वारा उक्त प्लाट आई.सी.आई.सी.आई.बैंक शाखा एम.पी.नगर, भोपाल से गृह ऋण प्राप्त कर क्रय किया गया था तथा जिसका प्रार्थीगण द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 158 के माध्यम से नामांतरण कराया गया तथा नगर पालिका परिषद, कोलार, भोपाल में भी अपने नाम से उक्त प्लाट का नामांतरण कराया गया तथा उक्त प्लाट का प्रापर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है ।

3. यह कि उक्त प्लाट के प्रार्थीगण मालिक एवं स्वामी है जिसे विक्रय, दान, बंधक, वसीयत, हस्तांतरण आदि करने के समस्त अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है ।

निरन्तर 2

4. यह कि प्रार्थीगण का उक्त प्लाट निर्विवाद कब्जा चला आ रहा था परन्तु दिनांक 06.02.2018 को कुछ आसामाजिक व्यक्तियों जिनमें देवेश शुक्ला मोबाईल नं0 9302484806 द्वारा प्रार्थीगण के उक्त प्लाट पर जबरन कब्जा करने आ गये तब प्रार्थीगण द्वारा उन्हे रोका गया तो हमें सोसायटी के कार्यालय बुलाया गया जब हम कार्यालय गये तो जानकारी मिली की सोसायटी द्वारा वर्ष 2016 को नवीन कार्यकारिणी गठित करते हुए उक्त प्लाट का वर्ष 2016 में नवीन विक्रय पत्र का निष्पादन करा दिया गया तथा वर्ष 2017 में पुनः उक्त विक्रय पत्र के आधार पर देवेश शुक्ला को उक्त प्लाट विक्रय कर दिया गया है ।

5. यह कि सोसायटी के अध्यक्ष एवं एक और अन्यत्र व्यक्ति द्वारा हमें धमकी दी गई की उक्त प्लाट पर हम कब्जा न करें यदि करते है तो वे हमारी टांगे काट देवेगें जिससे प्रार्थीगण को बहुत मानसिक एवं आर्थिक क्षति हो रही है ।

अतः माननीय महोदयजी से निवेदन है कि इन व्यक्तियो पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण को उक्त प्लाट पर कब्जा दिलाने की कृपा करें ।

स्थान :– भोपाल

दिनांक :–

प्रार्थीगण 10-2-18

राजेश गोयल मोबाईल नं0 8889048555

योगेश गोयल मोबाईल नं0 8889049555

संलग्न रजिस्ट्री की छायाप्रति

Verified 28/2/18
SHO
P.S. Kolar Road, Bhopal

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल